

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1274

जिसका उत्तर 03 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र के लिए योजनाएं

1274. श्री एस. राजेन्द्रनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत मंत्रालय द्वारा एपीडीआरपी, आर-एपीडीआरपी, आईपीडीएस, पीएसडीएफ आदि जैसी कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना-वार सभी योजनाओं के अंतर्गत आबंटित/उपयोग की गई राशि और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त योजनाओं के लाभों से कोई राज्य वंचित दर्ज किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों सहित नीचे दिया गया है :

- (i) **एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)** : आईपीडीएस शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए है। आईपीडीएस के मुख्य घटक हैं : (क) शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण, (ख) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग (ग) पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम जिसे अब आईपीडीएस के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है, के तहत वितरण क्षेत्र का आईटी सक्षमीकरण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण किया जा रहा है।
- (ii) **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)** : डीडीयूजीजेवाई (क) आबादी का ध्यान रखे बिना सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/वासस्थलों का विद्युतीकरण (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्ट्रिंग को सुगम बनाने के लिए कृषि तथा गैर-

कृषि फीडरों का पृथक्करण (ग) वितरण/ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण एवं संवर्धन के लिए है।

(iii) **उदय (उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना)** : उदय योजना का उद्देश्य ब्याज भार विद्युत की लागत और 2018-19 में एटीएंडसी हानियों को 15% कम करके विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कामों) के वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षता का सुधार करना है।

(iv) **विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ)** : पीएसडीएफ स्कीम का उद्देश्य केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2014 और विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निधियों के संवितरण के लिए प्रक्रिया के अनुसार, सरकार द्वारा यथा अनुमोदित ग्रिड सुरक्षा प्रदान करना और पीएसडीएफ में जमा निधियों का प्रचालनीकरण और उपयोग करना है।

(ख) : सभी स्कीमों के लिए स्वीकृत निधियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। इस स्कीम के लाभ संबंधित स्कीमों के तहत परिकल्पित दिशानिर्देशों/शर्तों के अनुसार स्वीकार्य होते हैं। सभी राज्यों, जिन्होंने स्कीम में हिस्सा लिया है उन्हें स्कीम के तहत लाभ दिया जा चुका है।

लोक सभा में दिनांक 03.03.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1274 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

i. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

रुपए करोड़ में

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परियोजना लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (25.02.2016 तक की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	1478.29	6.39	0.00	18.97	19.62
2	अरुणाचल प्रदेश	1428.02	88.50	4.94	60.34	24.16
3	असम	4703.71	50.47	18.96	114.62	336.73
4	बिहार	18484.21	21.06	848.13	1489.80	521.80
5	छत्तीसगढ़	2899.38	43.65	43.35	81.11	180.70
6	गुजरात	1239.91	5.01	7.53	12.36	57.80
7	हरियाणा	489.38	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	484.54	0.00	0.00	0.00	28.35
9	जम्मू एवं कश्मीर	1675.02	51.38	35.09	0.00	0.00
10	झारखंड	8351.66	72.87	0.00	9.42	0.00
11	कर्नाटक	2857.65	45.35	39.82	25.96	20.41
12	केरल	711.96	50.10	21.17	15.37	0.00
13	मध्य प्रदेश	7163.53	168.33	115.26	351.98	339.63
14	महाराष्ट्र	2847.75	10.36	0.00	0.00	40.58
15	मणिपुर	697.03	0.00	29.80	87.66	2.36
16	मेघालय	559.92	30.01	18.13	0.00	0.00
17	मिजोरम	424.68	0.00	40.90	0.00	18.60
18	नागालैंड	402.29	15.28	7.17	0.00	44.70
19	ओडिशा	9073.20	77.94	2.52	15.53	488.38
20	पंजाब	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21	राजस्थान	5522.72	27.20	3.12	0.00	252.52
22	सिक्किम	217.92	0.00	16.29	0.00	0.00
23	तमिलनाडु	1309.58	4.48	5.78	0.00	77.07
24	तेलंगाना	773.03	6.35	6.92	3.44	5.33
25	त्रिपुरा	576.27	10.60	0.00	48.19	2.23
26	उत्तर प्रदेश	22452.32	93.68	1061.06	1121.07	742.72
27	उत्तरांचल	1630.82	16.69	0.00	0.00	71.21
28	पश्चिम बंगाल	7761.76	7.68	51.71	145.03	271.81
29	गोवा	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30	दादर एवं नगर हवेली	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	106680.68	903.39	2377.66	3600.86	3546.70

ii. आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम)

31.01.2016 तक की स्थिति के अनुसार

राज्य	यूटिलिटी	संस्वीकृतियां				संवितरण					
		संस्वीकृतियां 2012-13	संस्वीकृतियां 2013-14	संस्वीकृतियां 2014-15	संस्वीकृतियां 2015-16	संस्वीकृति यां संचयी	संवितरण 2012-13	संवितरण 2013-14	संवितरण 2014-15	संवितरण 2015-16	संवितरण संचयी
हरियाणा	यूएचबीवीएनएल		442.61	0.00	0.00		0.00		0.00	18.91	41.45
	डीएचबीवीएनएल		351.29	0.00	-391.49		0.00		27.14	7.29	61.57
हरियाणा	कुल	0.00	793.90	0.00	-391.49	1241.62	0.00	0.00	27.14	26.20	103.02
एचपी	एचपीएसईबी	0.00	0.00	0.00	0.00	435.37	29.59	0.00	21.28	0.00	176.44
जे एंड के	जे एंड के पीडीडी	0.00	0.00	0.00	0.00	1870.15	0.00	0.00	0.00	0.00	561.04
पंजाब	पीएसईबी	0.00	122.97	0.00	0.00	1957.91	10.26	13.50	4.29	29.86	415.72
चंडीगढ़	ईडी	0.00	0.00	0.00	-33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	कुल	-4.40	0.00	110.14	0.00	2113.05	36.07	0.00	0.00	13.28	419.81
यूपी	कुल	1824.44	1015.63	930.36	0.00	7971.25	302.00	84.61	195.84	280.39	1388.15
उत्तराखंड	यूपीसीएल	191.46	0.00	6.42	0.00	732.88	117.79	0.00	61.56	0.85	251.53
कुल यूटिलिटियां (नॉर्थ)		2011.50	1932.50	1046.92	-424.83	16322.23	495.71	98.11	310.11	350.57	3315.71
एमपी	कुल	44.91	0.00	0.00	0.00	2413.17	38.51	46.20	0.00	21.51	524.64
गुजरात	कुल	-39.77	43.17	127.02	0.00	1493.43	55.99	28.79	15.25	0.00	358.26
छत्तीसगढ़	सीएसईबी	0.00	0.00	0.00	0.00	873.75	118.85	34.54	0.00	0.00	190.13
महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	154.54	0.00	-341.38	0.00	3543.91	125.01	0.00	0.00	0.00	763.44
गोवा	गोवा ईडी	0.00	0.00	0.00	0.00	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	31.47
कुल (पश्चिम)		159.68	43.17	-214.36	0.00	8434.99	338.36	109.53	15.25	21.51	1867.93
एपी	एपीएसपीडीसीएल	44.17	39.54	79.51	0.00	400.26	0.00	48.96	1.23	11.92	122.59
	एपीईपीडीसीएल	51.03	17.23	21.42	0.00	154.44	11.90	7.65	7.26	0.00	45.74
एपी	कुल	95.20	56.77	100.93	0.00	554.70	11.90	56.61	8.49	11.92	168.33
तेलंगाना	टीएसएनपीडीसी एल	18.20	1.93	0.00	-1.93	236.11	0.00	13.94			
	डीएसएसपीडीसी एल	15.54	24.85	0.00	-0.82	1191.22	0.00	69.10	0.00	0.00	258.65
तेलंगाना	कुल	33.74	26.78	0.00	-2.75	1427.33	0.00	83.04	0.00	0.00	313.80
कर्नाटक	कुल	-162.40	0.00	7.56	0.00	1185.30	0.00	95.96	7.99	0.00	363.63
केरल	केएसईबी	206.13	0.00	0.00	0.00	1375.85	30.92	0.00	0.00	0.00	250.99
तमिलनाडु	टीएनईबी	-1088.68	90.81	228.40	0.00	3104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	671.69
पुडुचेरी	पीडी	98.67	0.00	0.00	0.00	126.20	0.00	14.10	2.78	0.00	21.38
कुल (दक्षिण)		-817.34	174.36	336.89	-2.75	7774.27	42.82	249.71	19.26	11.92	1789.84
बिहार	बीएसईबी	530.05	0.00	0.00	-215.92	1155.89	82.53	97.36	0.00	0.00	238.26
झारखंड	जेएसईबी	0.00	1251.68	0.00	0.00	1412.28	0.00	27.78	0.00	0.00	75.96
पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसी एल	7.28	125.67	0.00	0.00	1005.49	55.87	0.00		21.96	0.00
	डीपीएल	0.00	7.64	0.00	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	सीईएसयू		395.86	0.00	0.00	395.86	0.00	0.00	79.21	0.00	79.21
कुल (पूर्व)		537.33	1780.85	0.00	-215.92	3977.16	138.40	125.14	101.17	0.00	647.18
असम	एपीडीसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	839.65	75.79	0.00	34.60	0.00	286.49
अरुणाचल प्रदेश	पीडी	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
नागालैंड	पीडी	0.00	0.00	0.00	-10.07	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
मणिपुर	पीडी	398.87	0.00	0.00	0.00	430.42	119.66	0.00	0.00	12.10	141.23
मेघालय	एमईएसईबी	0.00	159.73	0.00	0.00	193.70	0.00	0.00	47.92	0.00	58.11
मिजोरम	पीडी	0.00	240.41	0.00	0.00	275.53	0.00	57.50	14.62	0.00	82.66
सिक्किम	पीडी	0.00	0.00	-14.67	0.00	80.09	0.00	0.00	2.58	0.00	31.01
त्रिपुरा	पीडी	16.83	0.00	0.00	0.00	200.28	6.71	0.00	32.96	3.90	96.95
कुल (उत्तर- पूर्व)		415.70	400.14	-14.67	-10.07	2081.86	202.16	57.50	132.68	16.00	718.12
कुल		2306.87	4331.02	1154.78	-653.57	38590.51	1217.45	639.99	578.47	400.00	8338.78

iii. एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस)

रुपए करोड़ में

राज्य	यूटिलिटी	सर्किल्स	संस्वीकृत 2014-15	संस्वीकृत 2015- 16	संस्वीकृत कुल राशि	संविरतित राशि 14-15	संविरतित राशि 15-16	संविरतित कुल राशि
यूपी	पूर्वा वीवीएनएल	2	607.4 8	0.00	607.4 8	0.00	36.5 7	36.5 7
	पश्चिम वीवीएनएल	21	460.2 5	0.00	460.2 5	0.00	27.7 1	27.7 1
	डीवीवीएनएल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	23	1067. 73	0.00	1067. 73	0.00	64.2 8	64.2 8
कुल यूटिलिटियां (उत्तर)		23	1067. 73	0.00	1067. 73	0.00	64.2 8	64.2 8
एमपी	एमपीपीकेवीवीसीएल (डब्ल्यू)	2	72.94	0.00	72.94	0.00	4.40	4.40
	कुल	2	72.94	0.00	72.94	0.00	4.40	4.40
गुजरात	एमजीवीसीएल	5	374.7 8	0.00	374.7 8	0.00	22.5 7	22.5 7
	कुल	5	374.7 8	0.00	374.7 8	0.00	22.5 7	22.5 7
कुल (पश्चिम)		7	447.7 2	0.00	447.7 2	0.00	26.9 7	26.9 7
एपी	एपीएसपीडीसीएल	3	209.1 2	0.00	209.1 2	0.00	12.5 9	12.5 9
	एपीईपीडीसीएल	3	223.5 3	0.00	223.5 3	0.00	13.4 6	13.4 6
	कुल	6	432.6 5	0.00	432.6 5	0.00	26.0 5	26.0 5
कुल (दक्षिण)		6	432.6 5	0.00	432.6 5	0.00	26.0 5	26.0 5
बिहार	एनबीपीडीसीएल	1	171.9 2	891. 36	1063. 28	0.00	10.3 5	10.3 5
	एसबीपीडीसीएल	1	73.63	974. 09	1047. 72	0.00	4.44	4.44
	कुल	2	245.5 5	1865.4 5	2111. 00	0.00	14.7 9	14.7 9
पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	5	1074. 68	0.00	1074. 68	0.00	64.7 0	64.7 0
कुल (पूर्व)		7	1320. 23	1865.4 5	3185. 68	0.00	79.4 9	79.4 9
कुल		43	3268. 33	1865.4 5	5133. 78	0.00	196. 79	196. 79

iv. उज्ज्वल डिस्कॉम एशोरेंस योजना (उदय)

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ब्याज सब्सिडी	संस्वीकृत राशि
1.	यूपीसीएल (उत्तराखंड)	3.82
2.	एमपीएमकेवीवीसीएल (मध्य प्रदेश)	3.33
3.	यूएचबीवीएनएल (हरियाणा)	0.32
वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए ब्याज सब्सिडी		
4.	एमपीपीओकेवीवीसीएल (मध्य प्रदेश)	74.82
5.	जेडीवीवीएनएल (राजस्थान)	227.18
6.	यूपीसीएल (उत्तराखंड)	263.26
7.	यूएचबीवीएनएल (हरियाणा)	178.59

v. विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ)

सतहत्तर (77) स्कीमें प्रस्तुत की गई थीं जिनमें से पीएसडीएफ से 3297.85 करोड़ रुपए के कुल अनुदान के लिए निगरानी समिति ने 36 स्कीमें अनुमोदित की हैं। निधियों का संवितरण शुरू किया जा चुका है और अब तक विभिन्न निकायों को 73.32 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।
